तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ[...] हुक्म की तामी[...] में जारी हुए
28.11.19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षी का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया, पैरोकार सरकार विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करना चाहते है उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थिया बहस के दौरान प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की, जबकि पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, विवादित आराजियात ग्राम घोड़ास पटवार हल्का घोड़ास तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थिया के पुत्र शिवलाल पिता ताराचन्द भांबी साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संम्वत 2070 से 2073 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेज एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थिया के पुत्र शिवलाल पिता ताराचन्द भांबी को बालिग को दुरुस्त कर नाबालिग दर्ज होना चाहिए था जिसकी ताईद स्कूल के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, शिव के आधार कार्ड की फोटो प्रति, आराजी नं. 1705 की हाल जमाबंदी आराजी नं. 475 की हाल जमाबंदी संवत 2067 के विरासत से इन्तकाल की फोटो प्रति से होती है। उसी के अनुसार प्रार्थिया के पुत्र शिवलाल पिता ताराचन्द भांबी को बालिग को दुरुस्त कर नाबालिग राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करानी चाहती है। उपरोक्त विवेचन के [illegible] प्रा० पत्र को सिद्ध कराने मे सफल [illegible] के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अत: **आदेश** प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 11:27:40 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 1705 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नं. 1348/3 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नं. 1689/2 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नं. 1690 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नं. 1704/2 रकबा 06 बिस्वा आराजी नं. 1707/1 रकबा 04 बिस्वा आराजी नं. 1708 14 बिस्वा, आराजी नं. 1709 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 08 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थिया के पुत्र का नाम शिवलाल पिता ताराचन्द आंनी के नाम के आगे नाबालिग दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि प्रार्थिया के पुत्र के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 11:27:40 IST
Reason: SelfAttested